envisages strict enforcement of child labour related laws, convergence of services for the benefit of parents of child labour in order to improve their economic conditions and launching of projects in areas of high concentration of child labour. 76 child labour projects have so far been set up for the rehabilitation of around 1.5 lakh children working in hazardous occupations. A major activity undertaken under the project is the establishment of special schools to provide non-formal education, vocational training, supplementary nutrition, health-check and a stipend of @ Rs. 100/- per month per child to compensate the loss of earning. Parents of child labour in project areas are expected to be covered on priority, under the existing poverty alleviation and employment generation schemes with a view to raising their economic status so that they are able to send their children to schools instead of work.

कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 में संशोधन

517. **श्री अनन्तराम देवशंकर दवे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मजदूर संघों आदि द्वारा कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 में क्या-क्या संशोधन करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन सुझावों की जांच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) उपर्युक्त योजना में आवश्यक संशोधन कब तक कर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अब तक कितने कर्मचारियों द्वारा इस पैंशन योजना को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की गई है?

श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 दिनांक 16.11.1995 को शुरू की गई थी। योजना में संशोधन के कतिपय सुझाव मिलते रहे हैं। ये सुझाव अन्य बातों के साथ-साथ विवाहित पुत्रों और विवाहित पुत्रियों और पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं और पुनर्विवाह करने वाले विधुरों के बीच विभेद, 5000/- रुपये प्रतिमाह से उपर वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों के लिए योजना के विस्तार, संराशीकरण ('कम्यूटेशन') के प्रावधान, पैंशन के शीघ्र भुगतान के लिए डिस्काउन्टिंग दर में कमी, चूक के मामलों में पैंशन भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान, उन सेवारत कर्मचारियों के लिए योजना को लागू करना जो परिवार पैंशन स्कीम, 1971 में शामिल नहीं हुए हैं, छूट और उजरतीदर कामगारों के कवरेज के मामले में लाभ की वापसी से संबंधित परिवार पैंशन की वापसी से संबंधित है। इन सुझावों की अब जांच करा ली गई है और 28.2.1996 को कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 में आवश्यक संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। व्यक्तिगत विकल्प प्रदान करने, पैंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने और पैंशन को तीसरे लाभ के रूप में प्रदान करने जैसे अन्य सुझावों को वास्तव में स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है। 27.3.1998 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पैंशन योजना के अन्तर्गत पैंशनीय लाभों का विस्तार 2,33,656 लाभानुभोगियों के लिए किया गया है।

Functioning of ESI Dispensaries

518. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether E.S.I. dispensaries are functioning in all the districts of the country;

(b) if so, the details of their locations, State-wise; and

(c) the number of people both employees and the number of persons separately who benefited during the last two years; dispensary-wise?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) The ESI Scheme is applicable to the factories employing 10 or more persons. The scheme is being implemented area-wise in a phased manner. Accordingly, the ESI dispensaries are set up in the areas where the ESI Scheme is operational. According to the Employees State Insurance Corporation, there are 1443 ESI dispensaries functioning in different parts of the country. A statement showing State-wise number of ESI dispensaries is annexed (*see below*). As on 31.3.1997, there were 77.31 lakh employees and their families eligible for medical care being provided in the ESI dispensaries. As the number of dispensaries is large it is somewhat difficult to give their individual details including the persons who actually benefited dispensary-wise.